



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
( उ० प्र० सरकार का उपक्रम )  
14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001  
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD  
( U.P. Govt. Undertaking )  
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001  
CIN: U40101UP1980SGC005065



संख्या: 188-उनिनि/रिफार्म/विनियम(वा०गो०आ०)/2018

दिनांक: 20 सितम्बर, 2018

### कार्यालय ज्ञाप

वार्षिक गोपनीय आख्या के संदर्भ में पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 453-CE(IV)/SEB-78/92-GM/1976 दिनांक 16.02.1978 जोकि सम्प्रति उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में लागू है, के बिन्दु संख्या-1 के प्रस्तर-(vii) में निहित व्यवस्था जो स्तम्भ-1 में प्राविधानित है, को उसके सम्मुख स्तम्भ-2 में अंकित प्राविधानों से एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रतिस्थापित/संशोधित किया जाता है :-

पूर्व निहित व्यवस्था (स्तम्भ-1)	प्रतिस्थापित/संशोधित व्यवस्था (स्तम्भ-2)
प्रतिवेदक/समीक्षक व अंतिम प्राधिकारी को गोपनीय आख्याओं में रिपोर्टिंग, समीक्षा व अंतिम वार्षिक मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं होगा; (1) नौकरी से सेवानिवृत्त तथा (2) पद त्यागने के पश्चात् । (Reporting/Reviewing and Final Authority will not have the power for reporting, reviewing and recording finally the annual entries after (1) retirement from service and (2) resigning from the post.)	(1) ऐसे मामलों में जहाँ प्रतिवेदक/समीक्षक/ स्वीकर्ता अधिकारी उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की सेवा में कार्यरत हैं अथवा प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने के पश्चात् भारत सरकार अथवा राज्य सरकार में कार्यरत हैं, तो वह अपने पद से स्थानान्तरित होने के उपरांत भी वार्षिक गोपनीय आख्या में अपना मूल्यांकन/अभिमत अंकित कर सकेंगे। (2) प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी के सेवानिवृत्त होने की स्थिति में, सेवानिवृत्त की तिथि के उपरांत एक माह की अवधि में अपना अभिमत/मूल्यांकन, वार्षिक गोपनीय आख्याओं में अंकित कर सकेंगे।

### प्रबन्ध निदेशक


संख्या: 188-उनिनि/रिफार्म/विनियम(वा०गो०आ०)/2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का० प्र० एवं प्रशा०/वित्त/तकनीकी/परियोजना एवं वाणिज्य), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगांज ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ़।

5. मुख्य अभियन्ता, पीपीएमएम/वाणिज्य/ईंधन/तापीय परिचालन/आर0एण्ड0एम0/जानपद नव-परियोजना /पर्यावरण एवं सुरक्षा/न्यू कोल ब्लॉक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कंपनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. उपमहाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0 1/2/3/4/5)/प्रशिक्षण इकाई/संसदीय कार्य इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0-6), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्र सं0 1104-मा0सं0-06(गोपन)/उनिलि/2018-30-मा0सं0-06(गोपन)/2017 दिनांक 11 सितम्बर 2018 के संदर्भ में।
12. अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी0 सी0-46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

आज्ञा से,

 20/09/18

( मो0 तसनीम )

मुख्य अभियन्ता (मा0सं0)